

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2024/120060/FIR/FIROZABAD/1472/CF0

दिनांक : 04-06-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **THE ASIAN SR. SEC. SCHOOL** पता **0, JASLAI ROAD, SHIKOHABAD** तहसील - **SHIKOHABAD** प्लाट एरिया **8405.85 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **4516** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	3	0	10.06 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **THE ASIAN SR. SEC. SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **09-06-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RAJENDRA YADAV** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **13-06-2024** से **13-06-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **THE ASIAN SR. SEC. SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **THE ASIAN SR. SEC. SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : भवन के सेट बैक एवं पहुच मार्ग के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या:-18/छ-पु0-8-2022/905(34)/2016टी0सी0 गृह (पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊ दिनांक 07.01.2022 के अनुपालन में छूट प्रदान की जाती हैं एवं सेटबैक के सम्बन्ध में सत्ता प्राधिकारी से निर्धारण कराया जाना अपेक्षित हैं। भवन में अतिरिक्त निर्माण कार्य/ढांचागत परिवर्तन किए जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक 03 माह में फायर मॉक ड्रिल कराते हुए रिकॉर्ड रखा जाए। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र **THE ASIAN SR.SEC.SCHOOL** के लिये ही निर्गत है। भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अकार्यशील होने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायें।



निर्गत किये जाने का दिनांक : **13-06-2024**
स्थान : **FIROZABAD**

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Satyendra Prasad Pandey

B6E0E55BC9A48E07B1E7CDA5052B354287871200

13-06-2024

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.